UPAG010060962026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आगरा

पीठासीन अधिकारी– (SHRI SANJAY KUMAR MALIK), (उ०प्र० न्यायिक सेवा) – UP01906

जमानत प्रार्थना पत्र संo: 2585/2026

दुर्गपाल पुत्र नरेन्द्र निवासी– ग्राम जिटौरा थाना किरावली, जिला आगरा उम्र करीब 34 वर्ष

.....अभियुक्त

प्रति

उ0प्र0 राज्य .....अभियोजन पक्ष

मु0अ0संo: 62/2026
धाराः 333,191(2),191(3),190,115(2),
109(1),352,351(2),324(2)
भारतीय न्याय संहिता
थानाः किरावली, जिला आगरा।

दिनांक 08.07.2026

प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त दुर्गपाल की ओर से मु0अ0सं0 62/2026 अन्तर्गत धारा 333,191(2),191(3),190,115(2),109(1),352,351(2),324(2) भारतीय न्याय संहिता थाना किरावली, आगरा के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में अभियुक्त पिता नरेन्द्र सिंह द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कहा गया है कि यह अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र हैं, कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में कथन किया गया है कि उसे झूठा फंसाया गया है, उसके द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। प्राथमिकी विलम्ब से लिखाई गयी है। अभियुक्त की कोई विशिष्ट भूमिका दर्शित नहीं की गयी है। अभियुक्त के कब्जे से अपराध से सम्बन्धित कोई वस्तु बरामद नहीं हुई है। प्रकरण में चुटैल के अस्पताल में भर्ती रहने के संबंध में कोई प्रपत्र नहीं है।

सत्यता यह है कि अभियुक्त महुअर पर ढाबा संचालित करता है। वादी ने अभियुक्त के गांव के रामभरत, दिलीप आदि के विरूद्ध मु0अ0सं0 40/2026 पंजीकृत कराया था। अभियुक्तगण दिलीप एवं रामभरत, अभियुक्त के होटल पर खाना खा रहे थे, तभी वादी जगवीर, विष्णु आदि आये तथा उनके साथ मारपीट करने लगे। अभियुक्त ने अपने ढाबे पर झगड़ा करने से मना किया तो वादी ने अभियुक्त एवं उसके परिजनों के विरूद्ध झूठा अभियोग दर्ज करा दिया। वादी तथा उसके परिजन मुकदमेबाजी हैं तथा गांव के विभिन्न व्यक्तियों के विरूद्ध अभियोग दर्ज करा चुके हैं। अभियुक्त दिनांक 28.05.2026 से कारागार में निरूद्ध है, अतएव जमानत प्रदान करने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी सत्यवीर सेना मैडल द्वारा थाना किरावली, आगरा पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि दिनांक 27.03.2026 को रात करीब 08.30 बजे उसकी मां घर पर सो रही थी, तभी दुर्गपाल, डिगपाल, उमा, यदुवीर, नरेन्द्र, उपेन्द्र, लाखन, अशोक, सुरेन्द्र, मदनमोहन, हरिओम एवं 5–6 अन्य लोग एक राय होकर हाथ में लाठी, डण्डा, हॉकी, सरिया, फरसा, कुल्हाड़ी लेकर जा से मारने की नीयत से उसके घर का दरवाजा खोलकर घर के अन्दर घुस गये तथा उसकी मां के साथ मारपीट की, जिससे उसकी मां के सिर एवं शरीर पर काफी चोटें आई। घर के अन्दर काफी तोड़फोड़ की, गाली गलौज एवं जान से मारने की धमकी दी। दुर्गपाल ने उसके छोटे भाई की पत्नी के साथ लज्जा भंग करने की नीयत से छेड़छाड़ की। उसकी मां को कहा कि अपने लड़को को बुला, उनको आज जान से मार देंगे। इस घटना की जानकारी उसके पड़ौसियों ने फोन करके बताई, तभी ए0सी0पी अछनेरा को फोन किया, पुलिस मौके पर आई, सभी मौके से भाग गये। उसकी मां घायलावस्था में मिलीं, वे अपनी मां को लेकर थाना किरावली पर पहुंचे।

वादी की तहरीर के आधार पर थाना किरावली, आगरा पर मु0अ0सं0 62/2026 अन्तर्गत धारा 333, 191(2), 191(3), 190, 115(2), 118(1), 74, 352,351(2),324(2) भारतीय न्याय संहिता में प्राथमिकी दर्ज की गयी।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी), आगरा एवं वादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त एवं सह अभियुक्तगण द्वारा एक राय होकर वादी के घर में घुसकर उसकी मां के साथ मारपीट की गयी, जान से मारने की धमकी दी गयी। अपराध गंभीर प्रकृति का

है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की प्रार्थना की गई।

मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दाण्डिक के तर्कों को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

केस डायरी में उपलब्ध चुटैल कृष्णा देवी की उपहति आख्या के अनुसार उसके शरीर पर आठ चोटें पाई गयीं, जिनमें चोट संख्या–2,3,4 एवं 5 जो उसके सिर, बांयी भुजा, सीने पर मध्य भाग में तथा दांये कन्धे पर पाई गयीं, को निगरानी में रखा गया तथा शेष चोटों को साधारण प्रकृति की होने का निष्कर्ष दिया गया।

चुटैल कृष्णा देवी की सी0टी0 स्केन रिपोर्ट एवं पूरक चिकित्सीय परीक्षण आख्या के अनुसार उसके सिर में इन्ट्राक्रानियल हेमाटोमा पाये जाने पर उक्त चोट को गंभीर एवं प्राणघातक प्रकृति की होने का निष्कर्ष दिया गया है। तत्सम्बन्ध में आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि उक्त प्राणघातक चोटों के उपचार हेतु चुटैल का अस्पताल में भर्ती रहने के संबंध में कोई भी चिकित्सीय प्रपत्र केस डायरी पर उपलब्ध नहीं हैं।

तत्सम्बन्ध में वादी सत्यवीर एवं चुटैल श्रीमती कृष्णा देवी द्वारा विवेचक को दिये गये बयानों में यद्यपि आवेदक/अभियुक्त एवं सह अभियुक्तगण द्वारा कृष्णा देवी को मारपीट कर चोटें पहुंचाये जाने का कथन किया गया है, परन्तु उनके द्वारा अपने बयानों में चुटैल कृष्णादेवी के उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती रहने के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है।

इसके सापेक्ष उपलब्ध प्रपत्रों के अनुसार प्रकरण की प्राथमिकी कथित घटना के दूसरे दिन वादी सत्यवीर द्वारा दर्ज कराई गयी, जो धारा 333, 191(2), 191(3), 190, 115(2), 118(1), 74, 352,351(2),324(2) भारतीय न्याय संहिता में पंजीकृत की गयी। केस डायरी के पर्चा संख्या–09 दिनांकित 20.05.2026 के अनुसार प्रकरण में धारा 74 भारतीय न्याय संहिता का लोप करते हुए धारा 109(1) भारतीय न्याय संहिता की बढ़ोत्तरी की गयी है। यह भी निर्विवादित है कि आवेदक/अभियुक्त दुर्गपाल को घटनास्थल से गिरफ्तार नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 28.05.2026 से कारागार में निरूद्ध है। यद्यपि अभियोजन की ओर से आवेदक/अभियुक्त का दो अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास होना कहा गया है, परन्तु अभियुक्त की ओर से पूरक शपथपत्र के माध्यम से कहा गया है कि पूर्व के अभियोगों में अभियुक्त जमानत पर है तथा किसी भी अभियोग में अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं किया गया है।

प्रकरण में विवेचना प्रचलित है।

तदैव मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत जमानत हेतु पर्याप्त आधार हैं एवं आवेदक/अभियुक्त दुर्गपाल का जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त **दुर्गपाल** का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आवेदक/अभियुक्त **दुर्गपाल** द्वारा **मु0 50,000/–रू0** का व्यक्तिगत बंधपत्र और समान धनराशि की दो प्रतिभू संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाये ।

(संजय कुमार मलिक)
सत्र न्यायाधीश,
आगरा
08.07.2026

Digitally signed by SANJAY KUMAR MALIK
Date: 2026.07.08 16:48:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court